



कमांक प. 14(67)ग्रा.वि./ग्रुप 6/एमएलए/राशि हस्तान्तरण/2018-19/3806-47 जयपुर, दिनांक 15.01.2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,
समस्त।


वीडियों कॉन्फेन्स सूचना

दिनांक 22.01.2021 को मध्यान्ह 3.00 बजे से 5.00 बजे तक श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में वीडियों कॉन्फेन्स के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जावेगी :-

1. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 14वीं विधानसभा एवं इससे पूर्व की अवशेष रही राशि को 15वीं विधानसभा में हस्तान्तरित करने सम्बन्धी प्रस्ताव/सूचना पर चर्चा। योजना की प्रगति पर चर्चा।
2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत Upto 14वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा एवं पूर्व राज्यसभा सदस्यों के खाते बन्द किये जाने की स्थिति पर चर्चा। योजना की प्रगति पर चर्चा।
3. सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समायोजन पर चर्चा।
4. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत रिमांड/स्वीकृति एवं आवास पूर्ण करने के संबंध में चर्चा।
5. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समायोजन पर चर्चा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के निम्न अधिकारियों सहित समस्त आवश्यक सूचनाओं के साथ वीडियों कॉन्फेन्स में भाग लेना सुनिश्चित करावें :-

1. अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी),
2. परियोजना अधिकारी (लेखा),
3. सहायक अभियन्ता,
4. सहायक लेखाधिकारी/कनिष्ठ लेखाकार
5. संबंधित योजना डीलिंग(MLALAD, MPLAD, BADP)।

भवदीय

(पी.सी. किशन)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. स्टेट नोडल अधिकारी(PMAY-G)/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपचिव (मो. एवं मू.)।
5. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, मो. एवं मू., ग्रामीण विकास विभाग।
6. परियोजना अधिकारी (प्रशासन) वीसी हेतु समिति कक्ष आरक्षित करने बाबत।
7. एनआईसी (वीसी प्रोग्राम) मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि दिनांक 22.01.2021 को दोपहर 3 से 5 बजे तक आयोजित वीडियों कॉन्फेन्स हेतु समिति कक्ष, उत्तर पश्चिमी भवन, एसएसओ बिल्डिंग, शासन सचिवालय जयपुर में आवश्यक व्यवस्था करावें।
8. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

परि. निदे. एवं उप सचिव
(एसएपी)